



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

दण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2006
(7 चैत्र, 1928 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या का० आ० 37/ह० अ० 6/2003/घा० 2 तथा 55/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006, हरियाणा में कार्यरत उड़नदस्ता अधिकारी को आयुक्त की सहायतार्थ नियुक्त करने बारे 2. अधिसूचना संख्या का० आ० 38/प० अ० 1/14/घा० 56/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006, आबकारी शुल्क से छूट प्रदान करने बारे (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	141—142 143—144
भाग-IV	शुद्धि पंक्तियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन शुद्धि पत्र दिनांक 28 मार्च, 2006, अधिसूचना संख्या का० आ० 93/ह० अ० 6/2003/घा० 59/2003, दिनांक 8 जुलाई, 2003 का शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी में)	11

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2006

संख्या का० आ० 37/ह० अ० 6/2003/घा० 2 तथा 55/2006.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) तथा (य ण) के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा में कार्यरत उड़नदस्ता अधिकारी को आयुक्त की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं तथा इस अधिनियम के उपरोक्त खण्ड के अर्थ के भीतर उसे निर्धारण प्राधिकारी तथा कराधान अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में प्राधिकृत करते हैं।

एल० एस० एम० सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2006

No. S. O. 37/H.A. 6/2003/Ss. 2 and 55/2006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 read with clauses (e) and (zo) of sub-section (1) of section 2 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), the Governor of Haryana hereby appoints Flying Squad Officer, working in the Excise and Taxation Department, Haryana to assist the Commissioner and authorises him to exercise the powers and perform the duties of assessing authority and taxing authority within the meaning of above said clauses of this Act throughout the State of Haryana.

L. S. M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.